

न्यायालय अनुमण्डल निलाम-पत्र पदाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

B.O. A.T.K.A. प्रथम पक्ष

बनाम

शांति अश्ली व अन्य द्वितीय पक्ष

आदेश-पत्रक

पक्ष

मूल 38039.82

कोर्ट फी 850.00

टोटल 388

देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129




आदेश सं० क. ता० से तक


जिला गिरिडीह।

निलाम-पत्र वाद संख्या 80/2021

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
80/2021	<p>शाखा प्रबन्धक</p> <p>बैंक ऑफ इंडिया अंतका</p> <p>के द्वारा देनदार श्री. S. वाहिम अश्ली \$ जलील अश्ली पिता मातु मित्रा, पत्नी गडा, अंतका के विरुद्ध 38839.82 रूपये की वसूली लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत अधियाचना पत्र देकर प्रमाण-पत्र मुकदमा दायर किया गया है।</p> <p>अधियाचना पत्र के साथ देनदार द्वारा किया गया लोक मांग वसूल अधिनियम के अधीन वसूली हेतु एकरारनामा की प्रति लेखा विवरणी तथा अन्यान्य कागजात दाखिल किया गया है।</p> <p>मुकदमें की स्वीकृति हेतु 850 = 00 रूपये मुल्य का कोर्ट फी स्टाम्प दायर किया/नहीं गया है। स्टाम्प दायर करके हेतु समय की मांग की गई है। जिसे स्वीकार किया जाता है।</p> <p>पंजी X में अंकित करें। स्टाम्प दायर मामले में दफा 7 के अंतर्गत देनदार/जमानतदार के सूचना प्रपत्र 1 के साथ जारी करें। जिसका तामिला..... से करावे।</p> <p>अभिलेख दिनांक 16/09/21 को रखें।</p> <p>मेरे द्वारा लिखवाया एवं शुद्ध किया।</p> <p>अनुमण्डल निलाम पत्र पदाधिकारी बगोदर-सरिया।</p>	

अनुमण्डल निलाम पत्र पदाधिकारी बगोदर-सरिया

श की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
<p>2/9/22</p> <p>19.09.22</p> <p>11.10.22 10.12.22</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित। धारा-7 की नोटिस तामिला हेतु CH को दिनांक-06.08.2021 को उपलब्ध करा दिया गया था परन्तु एक वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि CH को इस वाद में कोई रुचि नहीं है। CH को अंतिम मौका दें कि तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध करावें अन्यथा Boards Instructions No.-6 के प्रावधानों की अवहेलना में वाद की कार्यवाई समाप्त कर दी जायेगी तथा इसकी सारी जबावदेही CH की होगी।</p> <p>CH को इस आदेश से अवगत करावें। अभिलेख दिनांक 19.09.22 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;">  निलाम पत्र पदाधिकारी -सह- अनुमण्डल पदाधिकारी बगोदर-सरिया </p> <p>अभिलेख उपस्थापित। CH द्वारा तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा उनका कोई प्रतिनिधि भी उपस्थित नहीं है। अभिलेख दिनांक 11.10.22 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: center;">  19.09.22 </p> <p>अभिलेख उपस्थापित। आदेश की रूकित प्रति संलग्न।</p> <p style="text-align: center;">  18/12/22 </p>	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	<p>undue delay. The Requiring-officer is primarily responsible for systematic application for certificates, the prompt disposal of objections if referred to him under Rule 11, Schedule II to the Act, the return of the files after such disposal, and the early application for execution, giving details of the property against which the certificate is to be enforced. He is also responsible for seeing, from time to time, that the execution proceedings are progressing. He is responsible for reporting punctually all payments out of Court, as prescribed in Instruction 24 below.”</p> <p>अतः उक्त विवेचन के आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। साथ ही यदि किसी राशि की वसूली अवशेष रह जाती है तो इसके लिये CH पूरी तरह से जिम्मेवार होंगे।</p> <p style="text-align: right;">  सर्टिफिकेट ऑफिसर -सह- अनुमण्डल पदाधिकारी बगोदर-सरिया। </p>	

आदेश की
क्र० सं० और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख
सहित

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष
अनुपस्थित।

Bihar and Orissa Public Demand
Recovery Act, 1914 के अंतर्गत धारा-7 की
नोटिस तामिला हेतु CH को उपलब्ध कराया
गया था, परन्तु उनके द्वारा तामिला प्रतिवेदन
उपलब्ध नहीं कराया गया।

दिनांक-02.09.2022 को Boards
Instructions No. 6 के प्रावधानों का उल्लेख
करते हुये वाद की कार्यवाई समाप्त करने हेतु
कार्यवाई प्रारम्भ करने की सूचना CH को दी
गई थी, तथापि तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध
नहीं कराया गया।

स्पष्टतया CH की इस वाद में कोई
अभिरुचि प्रतीत नहीं होती है। Board's
Instruction No. 6 में प्रावधानित है कि
“ Responsibility of Requiring-officer and
Certificate-officer for prompt disposal of
certificate cases. – The Requiring-officer and
Certificate-officer are jointly responsible of the
punctual disposal of certificate cases and are
bound to bring to each other's notice and if
necessary to the notice of the Collector, any